(5)

महानिदेशालय कारागार,राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–बंशा./जयपुर/86/06/643-84 दिनांक :– 06.04.2010

1. समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक /प्रभाराधिकारी
   केन्द्रीय/जिला कारागृह,राजस्थान
2. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान,अजमेर

परिपत्र

विषयः–विचाराधीन बंदी की सुरक्षा के संबंध में निर्देश ।

इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सामान्य/8/2000/25009–25109 दिनांक 29.07.2003 एवं क्रमांक 56115–220 दिनांक 02.08.2007 द्वारा बंदियों के रख–रखाव के सम्बन्ध में दिशा–निर्देशों के बावजूद यह ध्यान में आया है कि विभिन्न कारागृहों पर विचाराधीन बंदियों से विधि एवं नियमों के प्रतिकूल कार्य कराया जाता है । यह भी इस कार्यालय के ध्यान में आया है कि विभिन्न प्रकार की नियमानुकूल अथवा अनियमित सुविधाएं उपलब्ध कराने के एवज में विचाराधीन बंदियों से जेलकर्मियों द्वारा स्वयं अथवा अन्य बंदियों के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है ।

राजस्थान कारागार नियम, 1951 में स्पष्ट प्रावधान है कि विचाराधीन बंदियों को दण्डित बंदियों से पूर्णतः पृथक रखा जावे । उक्त नियमावली के भाग 10 के नियम 20 द्वारा विचाराधीन बंदियों को किसी प्रकार के श्रम में नियोजन उक्त नियम की विशिष्ट परिस्थितियों के अतिरिक्त पूर्णतः प्रतिबंधित है । प्रासंगिक नियम के द्वारा प्रत्येक विचाराधीन बंदी स्वयं के वस्त्र आदि के अतिरिक्त बैरिक एवं वार्ड की सफाई हेतु नियोजित किया जा सकता है।

विधिक प्रावधानों की पूर्ण पालना हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

1. किसी भी विचाराधीन बंदी से कोई भी अपमानजनक कार्य नहीं कराया जाये ।
2. किसी भी विचाराधीन बंदी को स्वयं को आवंटित वार्ड के बाहर किसी प्रकार के कार्य हेतु नियोजित नहीं किया जाये ।
3. स्वयं के बिस्तर और वस्त्रादि के अतिरिक्त विचाराधीन बंदी को स्वयं के वार्ड और बैरिक में स्वच्छता बनाये रखने हेतु ही नियोजित किया जाये ।
4. विचाराधीन बंदी को चिकित्सकीय परामर्श, मुलाकात, न्यायालय में पेशी हेतु उपस्थिति हेतु ही आवंटित वार्ड के बाहर आने की अनुमति दी जाये ।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार

(6)

5. यदि कोई विचाराधीन बंदी स्वेच्छा से कार्य करने का इच्छुक हो तो कारागार अधीक्षक स्वयं उससे प्रार्थना–पत्र प्राप्त कर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह प्रार्थना–पत्र स्वेच्छा से दिया गया है। ऐसा सुनिश्चित होने पर जेल अधीक्षक द्वारा उसकी योग्यता एवं इच्छा के अनुकूल वार्ड में ही हल्का श्रम दिया जा सकेगा जिसका कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा ।

6. विचाराधीन बंदियों के वार्ड में सुरक्षा की दृष्टि से सी.ओ./सी.एन. डब्ल्यू. तैनात किये जाने पर यह सुनिश्चित करें कि उसका आचरण संदेह से परे है । कोई भी सी.ओ./सी.एन.डब्ल्यू. ऐसे वार्ड में 21 दिवस में एक बार से अधिक नहीं लगाया जाये ताकि उसके द्वारा विचाराधीन बंदियों को प्रताड़ित किये जाने की संभावना नहीं रहे ।

7. प्रत्येक ऐसा वार्ड जिसमें विचाराधीन बंदियों को निरूद्ध रखा जाता है ऐसे वार्ड की आंतरिक दीवार पर निम्न सूचना दिनांक 30.04.2010 से पूर्व पेंट से अंकित की जाये :–

विचाराधीन बंदियों के लिये सूचना

1.बंदी से किसी भी प्रकार का श्रम कराना वर्जित है।
2.बंदी स्वयं के वस्त्र, बिस्तर,बैरक एवं वार्ड की स्वच्छता के लिये जिम्मेवार होगा ।
3.बंदी से मुलाकात, विशेष भोजन, अन्य सुविधा हेतु किसी प्रकार की राशि की मांग पूर्णतः अवैध है ।
4.बंदी के यदि वकील नहीं हो तो उसे जेल अधीक्षक के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता हेतु प्रार्थना–पत्र देना चाहिये ।
5.यदि बंदी को श्रम हेतु बाध्य किया जावे अथवा प्रताड़ित किया जाये अथवा किसी जेलकर्मी/अन्य बंदी द्वारा रुपयों की मांग की जाये अथवा निर्धारित पेशी पर नहीं भेजा जाये तो उसे जेल अधीक्षक को लिखित अथवा मौखिक शिकायत करनी चाहिये । बंदी यह शिकायत स्वयं अथवा मित्र, रिश्तेदार के माध्यम से महानिदेशक अथवा महानिरीक्षक कारागार को भी भेज सकता है।

समस्त कारागार प्रभारी उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। इन निर्देशों की अवहेलना अथवा पालना में शिथिलता के लिये उत्तरदायी विभागीय कर्मियों/बंदियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये ।

6/4/10

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर